HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 871/2026

Jasoda Devi Wife Of Shri Chiranji ,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 96/2026

Abdul Aziz @ Pappal S/o Bashir,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishnu Bohra, Adv. Mr. Jitendra Pandey, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP with Mr. Shubham Sain, AAAG. Ms. Anuradha Swami, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

28/04/2026

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार अभियुक्त नासिर व अजीज के विरूद्ध पुलिस द्वारा मामला प्रमाणित नहीं माना गया है तथा अभियुक्त जसोदा देवी की मृत्यु हो चुकी है। यह भी प्रकट हुआ है कि वादग्रस्त भूमि के नपती क्षेत्रफल आदि के संबंध में भी इस मामले में विवाद है। उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद पुलिस द्वारा अभी अनुसंधान लंबित होना बताया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 को दर्ज हुई है। धारा 193 बी एन एस एस के प्रावधानों को देखते हुए अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यथाशीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत करे।

विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगायी जावे जबकि विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त अनुतोष दिये जाने का घोर विरोध किया गया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि **आज से 15 दिन** में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करे तथा इस शर्त के साथ अभियुक्त नासिर व अब्दुल अजीज उर्फ पप्पल को आगामी पेशी तक पुलिस थाना **सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **270/2025** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

दोनों पत्रावली चार **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /27-28